

प्रेषक

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

सेवा में,

सचिव
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय कन्ट
प्रीति विहार, नयी दिल्ली

पत्रांक / शिबिर /

/2011-12 दिनांक 28.06.2012

विषय शोमफोर्ड फ्यूचररिस्टिक स्कूल अन्दादा झूसी इलाहाबाद को सी०बी०एस०ई० नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
महोदय,

उपसंयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति दिनांक 21.06.2012 के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1 विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नयी दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रथम पंज़िकाओं में रखा जायेगा।
- 9 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 10 सी०बी०एस०ई० नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त



- 11 सी0बी0ए0स0ई0नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।
- 12 छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमत्त है।
- 13 शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुरतकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जाय।
- 14 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा।
- 15 विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि यथा धनघट, गाबर तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था के कर्मचारियों को राज्य सरकार से जो कम वेतन दिया जा रहा उसे पूर्ण किया जाय और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अमर नाथ वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिथिर/ 2757-63 /2011-12 उसीतिथि को

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
- 2 शिक्षा निदेशक(मड) उ0प्र0 शिथिर कार्यालय 18 पार्करोड, लखनऊ
- 3 जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
- 4 निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
- 5 प्रबन्धक, शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल अन्दावा झूरी इलाहाबाद।
- 6 कार्यालय गार्ड पत्रावली।

(अमर नाथ वर्मा) 28/6/12
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

प्रेषक,
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

सेवा में,
सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार- नई दिल्ली

पत्रांक/पी0-4/एन0ओ0सी0/ /2017-18

दिनांक: 06/9/2017

विषय:- शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, अन्दावां, झूँसी, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर महेन्द्र प्रताप सिंह, पब्लिक स्कूल, अन्दावा, झूँसी, इलाहाबाद करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चेयरमैन/ट्रस्टी गुलाब सिंह बेला सिंह चैरिटेबिल ट्रस्ट, अन्दावां, झूँसी, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक/जी0एस0बी0एस0सी0टी0/0012 दिनांक 17.08.2017 द्वारा शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, अन्दावां, झूँसी, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर महेन्द्र प्रताप सिंह, पब्लिक स्कूल, अन्दावा, झूँसी, इलाहाबाद करने के सम्बन्ध में समिति के प्रस्ताव दिनांक 12.08.2017, आप द्वारा निर्गत Provisional Affiliation पत्र दिनांक 15.02.2013 तथा मण्डल कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र दिनांक 28.06.2012 की छायाप्रति संलग्न कर इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया है।

संस्था द्वारा प्राप्त कराये गये उक्तांकित समस्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उक्तवत्।

भवदीय

श्रीमती (माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पू0सं0/पी0-4/एन0ओ0सी0/ 6303-07 /2017-18 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, अन्दावां, झूँसी, इलाहाबाद को उनके पत्रांक/जी0एस0बी0एस0सी0टी0/0012 दिनांक 17.08.2017 के सन्दर्भ में।

श्रीमती (माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

No. CBSE/AFF/2131546/2018

1383233

Dated: 24.05.2018

The Manager
Semford Futuristic School
Andawan, Sarainayat,
Tehsil Phoolpur, Allahabad,
Uttar Pradesh- 211019.

Subject: - Change of Name of the School from "Semford Futuristic School" to
"Mahendra Pratap Singh Public School"-reg.

Sir/Madam,

This is with reference to letter dated Nil received in this office on 14/03/2018, on the subject cited above.

In this connection, I am directed to convey the approval of the Competent Authority of the Board for change of school's name from "Semford Futuristic School" to "Mahendra Pratap Singh Public School" on the basis of supportive documents forwarded to this office.

All concerned are requested to read the new name of the school as under:

**Mahendra Pratap Singh Public School,
Andawan, Sarainayat, Tehsil Phoolpur, Allahabad,
Uttar Pradesh- 211019.**

The above change in school's name is subject to the condition that the school **will not use the old name in any manner and the school should change/maintain all the records accordingly.**

Yours faithfully,

Assistant Secretary (Aff.)

Copy for information and further necessary action to:

1. The Principal, Mahendra Pratap Singh Public School, Andawan, Sarainayat, Tehsil Phoolpur, Allahabad, Uttar Pradesh- 211019.
2. The Regional Officer, CBSE Regional Office, 35B, Civil Station, M.G. Marg, Civil Lines, Allahabad-211001.
3. The Joint Director (Education), Allahabad Mandal, Allahabad.
4. The R.O (IT), CBSE, Preet Vihar, Delhi-92 for updation in website.
5. The PRO, CBSE, Preet Vihar, Delhi - 110092.

Assistant Secretary (Aff.)